महिलाओं और लड़िकयों की तस्करी

महिलाओं और लड़िकयों की तस्करी आमतौर पर यौन और आर्थिक शोषण, विशेष रूप से वेश्यावृत्ति, जबरन मजदूरी, जिसमें कृषि और घरेलू कार्य शामिल हैं, दुल्हन के रूप में 'बेचने', जबरन विवाह, युद्ध में भाग लेने के लिए भर्ती करने आदि के लिए किया जाता है। यह एक दंडनीय अपराध है।

मानव तस्करी के लिए कानून: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) और विशेष कानूनों जैसे अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार



विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी प्रतिबंधित है।

अपराध

- 1. मानव तस्करी
- 2. एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी
- 3. नाबालिगों की तस्करी
- 4. एक से अधिक नाबालिगों की तस्करी
- 5. नाबालिगों की तस्करी के अपराध में एक से अधिक बार दोषी ठहराया गया व्यक्ति
- 6. नाबालिगों की तस्करी में शामिल लोक सेवक या पुलिस अधिकारी

सजा

- 1. 7 से 10 वर्ष + जुर्माना
- 2. 10 साल तक आजीवन कारावास + जुर्माना
- 3. 10 साल तक आजीवन कारावास + जुर्माना
- 4. 14 साल से आजीवन कारावास + जुर्माना
- 5. प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास + जुर्माना
- 6. प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास + जुर्माना

महिला हेल्पलाईन





आपकी सहाराता के लिए

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा संचालित महिला हेल्पलाईन से निम्नांकित दूरभाष सं. पर संपर्क किया जा सकता है:



जला	संपर्क संख्या	जिला	संपर्क संख्या	जिला	संपर्क संख्या	जिला	संपर्क संख्या
भररिया	9771468001	मधुबनी	9771468019	अस्वल	9771468002	मुगेर	9771468020
भौरंगाबाद	9771468003	मुजफ्फरपुर	9771468021	बांका	9771468004	नालंदा	9771468022
गुसराय	9771468005	नवादा	9771468023	भागलपुर	9771468006	पटना	9771468024
गोजपुर	9771468007	पूर्णियाँ	9771468025	बक्सर	9771468008	रोहतास	9771468026
तिया	9771468009	सहरसा	9771468027	दरभंगा	9771468010	समस्तीपुर	9771468028
ा	9771468011	सारण	9771468029	गोपालगंज	9771468012	सीतामदी	9771468030
तमुई	9771468013	सिवान	9771468031	जहानाबाद	9771468014	शेखपुरा	9771468032
हैमूर	9771468015	शिवहर	9771468033	कटिहार	9771468016	सुपौल	9771468034
केशनगंज	9771468017	वैशाली	9771468035	मधेपुरा	9771468018	खगडिया	9102407316
नखीसराय	9102407317	पू, चंपारण	9102407315	-			

181 महिला हेल्पलाइन के तहत कोई भी पीड़िता कॉल करके मानिसक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न के मामले, दहेज हत्या के मामले, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न और अन्य मामलों की शिकायत दर्ज करा सकती है

> सावित्रीबाई माता समिति बिहार दलित विकास समिति, पटना

महिला उत्तीडेच त्वि कोर्वेग उत्ति है



महिला उत्पीड़न का अर्थ लिंग आधारित हिंसा के कार्य, जिससे महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षिति या पीड़ा होती है या होने की संभावना होती है। किसी महिला की सहमित के बिना उसके साथ यौन क्रिया करने का प्रयास या पूरा करना, यौन उत्पीड़न, मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी, निर्वस्त्र, अवांछित स्पर्श, अनाचार आदि को महिला हिंसा/उत्पीड़न कहा जा सकता है।

महिला उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार -

शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मौखिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, सांस्कृतिक उत्पीड़न एवं पारिवारिक उत्पीड़न


महिलाओं से छेड़-छाड़

आई.पी.सी. धारा-354, 354डी. बी.एन.सी.- 74, 75(2) 1 से 5 साल की सजा और जुर्माना

समान काम-समान वेतन



समान वेतन अधिनियम (EPA) शीर्षक VII के मृताबिक समान कार्यस्थल पर समान काम करने वाले पुरूषों और महिलाओं को समान वेतन मिलनी चाहिए। समान वेतन में सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि ओवरटाईम वेतन, बोनस, लाभ, जीवन बीमा, स्वस्थ्य बीमा, यात्रा प्रतिपूर्ति अवकाश वेतन इत्यादि शामिल है।



जहां किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पित या उसके पित के किसी संबंधी द्वारा दहेज के संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा।

IPC 304 (B), BNS 80 और कम से कम 7 वर्ष की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास।

दहेज हत्या


कन्या भ्रूण हत्या



गर्भ से लिंग परीक्षण जाँच के बाद शिशु कन्या को हटाना कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। लड़का पाने के उम्मीद में जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही हत्या कर दिया जाता है। यह एक कानूनी अपराध है।

IPC 312 से 318 तक एवं 10 वर्ष की कारावास

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध उसकी सहमित के बिना, उसे डरा धमका कर, बेहोशी की हालात में पर, बल पूर्वक उसके साथ सम्भोग करता है, वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में IPC के धारा 376, BNS के धारा 64 लगाया जाता है। आरोप सिद्ध होने पर कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं अधिकतम उम्रकैद की सजा, जुर्माना अलग से।



इस अपराध को अलग-अलग हालात के हिसाब से IPC के धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग और 376घ लगाया सकता है।



बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र में लड़के और लड़की की शादी कराई जाती है उसे बाल विवाह कहते है। यह एक दण्डनीय गैर जमानती अपराध है। विवाह में शामिल लड़का एवं उनके परिवार वाले को दो वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किया जा सकता है।



किसी महिला के पित या पित के रिस्तेदार द्वारा मारपीट, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। आई.पी.सी.- 498 (ए), 3 साल तक की सजा और जुर्माना।